



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-12102026-277077
CG-OR-E-12102026-277077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5341]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 5341]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 9 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5553(अ).— केंद्र सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम 2008 के खंड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत जरपड़ा एवं बुधापंक के बीच तीसरी एवं चौथी रेल लाइन का निर्माण, तालचेर रोड पर फ्लाईओवर सहित (101 किमी)।	ओडिशा

[फा. सं. CE/CON/IV/BBS/JRPD-BDPK 3rd & 4th line/SRP]

एच. अनंतरमन, मुख्य अभियंता (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway (Construction)]
NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 9th October, 2026

S.O. 5553(E).— In exercise of the powers, conferred by Clause (37A) of Railway (Amendment) Act, 2008, the Central Government hereby notifies the following project as special railway project as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE
Special Railway Project

S. No.	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	“3 rd & 4 th line between Jarapada & Budhapank with flyover at Talcher Road (101 Km) of East Coast Railway”	Odisha

[F. No. CE/CON/IV/BBS/JRPD-BDPK 3rd & 4th line/SRP]
H. ANANTHARAMAN, Chief Engineer (Con.-II)